प्रेस विज्ञप्ति

15.08.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय ने गौतम थापर के स्वामित्व और नियंत्रण वाले अवंता समूह की विभिन्न समूह कंपनियों से संबंधित 678.48 करोड़ रुपये मूल्य की अपराध की आय संबंधी अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियां हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में स्थित भूमि के रूप में हैं।

19.08.2019 को, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 30 के तहत बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को उन निष्कर्षों के बारे में खुलासा किया था, जिनका कंपनी की वित्तीय स्थिति पर संभावित प्रभाव पड़ सकता था। सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड द्वारा किए गए खुलासे से पता चला कि कंपनी की परिसंपत्तियों और देनदारियों को काफी कम करके दिखाया गया है, संबंधित पक्षों और असंबंधित पक्षों को दिए गए अग्रिमों को कम करके दिखाया गया है, कंपनी की कुछ परिसंपत्तियों को संपार्श्विक के रूप में प्रदान किया गया है, ऋणों के वित्तपोषण को सक्षम करने के लिए कंपनी को सह-उधारकर्ता और/या गारंटीकर्ता बनाया गया था, जिन्हें बिना उचित अनुमति के फौरन कंपनी से निकाल लिया गया था। कंपनी के ऋणदाता बैंकों द्वारा खुलासे का संज्ञान लिया गया और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा की गई शिकायत के आधार पर, सीबीआई, नई दिल्ली ने 22.06.2021 को आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत मेसर्स सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड, गौतम थापर, के एन नीलकंठ, माधव आचार्य, बी हरिहरन, ओमाकर गोस्वामी और अज्ञात लोक सेवक और निजी व्यक्ति के खिलाफ बैंकों के संघ के साथ 2435 करोड़ रुपये की **बैंक धोखाधड़ी** करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी।

उपरोक्त एफआईआर के आधार पर, ईडी ने पीएमएलए, 2002 के तहत जांच शुरू की और इसलिए जांच के दौरान, दो अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए गए थे, जिसमें 14.43 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की गई थीं। कंपनी के एक प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी माधव आचार्य को जनवरी 2024 में गिरफ्तार भी किया गया था और धन शोधन के अपराध में संलिप्त पाए जाने पर उनके और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की गई थी।

ईडी द्वारा की गई आगे की जांच से पता चला कि ऋण प्राप्त करके और इसके स्वयं के कोष से 1307.06 करोड़ रुपये अवंता समूह की कंपनियों में डायवर्ट किए गए हैं। अधिकांश धनराशि का भुगतान बोर्ड की उचित अनुमति के बिना किया गया है और अंततः अवंता समूह की कंपनियों को भुगतान किया गया धन अभी भी अवंता समूह पर बकाया है। इसलिए, अवंता समूह की कंपनियों की 678.48 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां कुर्क की गई हैं।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।